बिहार–सरकार

जिला पशुपालन कार्यालय , कैमूर (भभुआ)

अल्पकालीन निविदा–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ/सुखाड) की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016–17 में कैमूर जिला अन्तर्गत सभी प्रखंडो में पशुओं के लिए सुखा चारा यथा गेहूँ का भूसा एवं कुटी (पुआल–नेवारी) के दर के निर्धारण के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 21वें(इक्कीसवें) दिन अपराह्न 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराह्न 3:00 बजे निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सूखा चारा का क्रय आवश्यकतानुसार जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा किया जायगा । आपूर्त्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा एवं भुगतान भी उन्ही के स्तर से किया जाएगा।

1. निविदा के साथ रू0 5000.00(पांच हजार) मात्र अग्रधन के रूप में ट्रेजरी चालान या पोस्ट ऑफिस सेविंग पास बुक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जिला पशुपालन पदाधिकारी के पदनाम से अधिपालित कराकर या बैंक ड्राफ्ट (जिला पशुपालन पदाधिकारी के पदनाम पक्ष में) जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सूखे चारे का 200ग्राम नमूना (पारदर्शी प्लास्टीक के थैले में मुहरबंद) निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा में सूखा चारा यथा –गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) का प्रति क्विंटल दर (आपूर्त्ति आदेश के अनुसार अंकित स्थान तक पहुँचाकर तौलवाकर एवं रखवाकर) अंकित रहना अनिवार्य है । उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिव हन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगी।
4. आपूर्ति किये जाने वाले सुखे चारे का नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी ।
5. आपूर्त्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्त्ति नहीं देने पर आपूर्त्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
7. आपूर्त्ति आदेश के अनुसार सूखे चारे की आपूर्त्ति करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
8. एक से अधिक निविदादाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता/आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूर्त्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. जिला पदाधिकारी, कैमूर को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा सूचना के लिए वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन पदाधिकारी , कैमूर(भभुआ) से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
कैमूर(भभुआ)

जिला पदाधिकारी
कैमूर(भभुआ)